उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1729 / रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
रॉची।

बोकारो, दिनांक 11 / 07 / 2020

विषयः– श्री निवारण मराण्डी, ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–167 का निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची से ऑनलाईन कम्पलेन संख्या–167 (निवारण मराण्डी) का अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–05 / 2020 का विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 09.07.2020 को निष्पादित कर दिया गया है। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–05/2020

(निवारण मराण्डी बनाम् जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य)

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/7/20	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका निवारण मराण्डी उपस्थित। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चास उपस्थित। आवेदक श्री निवारण मराण्डी, मुखिया, पंचायत–चैनपुर, प्रखंड–चास, जिला–बोकारो के जनवितरण प्रणाली लक्ष्मी महिला मंडल, टोला–महलीटांड ग्राम–धर्मपुरा पंचायत चैनपुर के विरूद्ध शांति देवी, नमिता देवी, राम रतन सिंह को एक किलोग्राम प्रति यूनिट राशन कम दिये जाने से संबंधित शिकायत वाट्सएप के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विभाग को ऑनलाईन दिया गया है। उक्त शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्डधारी दिनेश्वर मांझी, सूजीत कुमार देव की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी श्रीमति संयुक्ता देव एवं नसीरूद्दीन की पत्नी बनजीर तब्बसुम से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। तीनो के बयान से विक्रेता लक्ष्मी महिला मंडल के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो पायी। कटौती चावल कार्डधारियों को मिल चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रतीत होता है कि कार्डधारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है। इसी आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, बोकारो –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो। अपर समाहर्त्ता, बोकारो। –सह– जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।	